संख्या:-97/2026/आई-1391289/001-343आ0-23-5002-002-32-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2055630)

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक "अनावासीय भवनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट, बलरामपुर, आगरा एवं सहारनपुर के 05 विशेष मरम्मत कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-22638/CE-BLD/BUIL(SR)/KNP/2026-27 दिनांक-12.06.2026, सं0-22640/CE-BLD/BUIL(SR)/SAH/2026-27 दिनांक-12.06.2026, सं0-22639/CE-BLD/BUIL(SR)/GON/2026-27 दिनांक-12.06.2026, सं0-22831/CE-BLD/BUIL(SR)/SAH/2026-27 दिनांक-19.06.2026 एवं सं0-22827/CE-BLD/BUIL(SR)/AGR/2026-27 दिनांक-19.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट, बलरामपुर, आगरा एवं सहारनपुर के 05 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 36.18 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठारह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख मे)

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत मूल धनराशि/ प्राविधिक स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संख्या:-11/2025/आई-847621/001-691आ0-23-5002-002-95-24, दिनांक-10.01.2025 **एवं** संख्या:-147/2025/आई-1018262/001-399आ0-23-5099-099-37-2025, दिनांक-08.07.2025	चित्रकूट में नवनिर्मित सर्किट हाउस में ऑडियो-वीडियो सी0सी0टी0वी0 वातानुकूलन संयत्रों एवं अन्य विद्युत संबंधी उपकरणों/संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	141.69	01.59	140.10	120.03	0.00	20.07	20.07
2	102/2024/आई-763522/001-428आ0-23-5002-002-78/2024, दिनांक-07.10.2024	जनपद सहारनपुर में कार्यालय निर्माण खण्ड, लो0न0वि0, सहारनपुर के कार्यालय भवन की मरम्मत का कार्य।	16.20	0.30	15.90	12.95	0.00	02.95	02.95

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	67/2025/आई-899631/001-133आ0-23-5002-002-15/2025, दिनांक-06.03.2025 **एवं** 191/2025/आई-1081921/001-476आ0-23-5002-002-42/2024, दिनांक-09.09.2025	निरीक्षण भवन उतरौला के मरम्मत का कार्य।	20.65	0.63	20.02	19.02	0.00	01.00	01.00
4	111/2025/आई-923946/001-232आ0-23-5002-002-15/2025, दिनांक-30.03.2025 **एवं** 137/2025/आई-1013212/001-397आ0-23-5002-002-42/2024, दिनांक-03.07.2025	सहारनपुर स्थित सर्किट हाउस में ए0सी0 और अन्य उपकरणों की स्थापना एवं आपूर्ति कार्य।	73.20	0.05	73.15	69.49	0.00	03.66	03.66
5	67/2025/आई-899631/001-133आ0-23-5002-002-15/2025, दिनांक-06.03.2025 **एवं** 159/2025/आई-1027129/001-429आ0-23-5002-002-35/2025, दिनांक-16.07.2025	कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, आगरा मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	56.00	05.00	51.00	42.50	0.00	08.50	08.50
योगः-									**36.18**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय,लो0नि0वि0,लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरणसम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 36,18,000 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059800530600 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:-97/2026/आई-1391289/001-343आ0(1)-23-5-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- मुख्य अभियन्ता (भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, ।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in